



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 186]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 2012/भाद्र 12, 1934

No. 186]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2012/BHADRA 12, 1934

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2012

फा. सं. आरईजी/टी 4 एस/एनजीपीएल/1/2012.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड एतद्वारा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) के विनियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामतः—

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) संशोधन विनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. मौजूदा खण्ड 4 अर्थात् कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली के निरीक्षण के तहत पाइप लाइन रखरखाव की अनुसूची 1ड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानक और विशिष्टियां) विनियम, 2009 की पंक्तियां "पाइप से मृदा संभाव्यता तथा टीआर इकाई आंकड़ों जैसी कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली मापदण्ड का सभी सीपी निरीक्षण स्टेशनों पर प्रत्येक माह में कम से कम एक बार रिकार्ड किया जाना चाहिए।" की एवजी इस प्रकार से होगी :

"पाइप से मृदा संभाव्यता तथा टीआर इकाई आंकड़ों जैसी कैथोडिक सुरक्षा प्रणाली मापदण्ड का सभी सीपी पोषित बिंदुओं पर प्रत्येक माह में कम से कम एक बार और सभी परीक्षण स्टेशनों पर 'ऑन' संभाव्यता की मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक तिमाही में एक बार रिकार्ड किया जाना चाहिए।"

रतन पी. वातल, सचिव

[विज्ञापन III/4/188/12/असा.]

पाद टिप्पणी : मुख्य विनियम सं. सा.का.नि. 808(अ) दिनांक 11 नवम्बर, 2009 को अधिसूचित हुए थे।

THE PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd September, 2012

F. No. REG/T4S/NGPL/1/2012.—In exercise of the powers conferred by Section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, namely :—

1. Short title and commencement.

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Amendment Regulations, 2012.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In para 4 i.e. Inspection of Cathodic Protection System under Pipeline Maintenance of Schedule 1E of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Technical Standards and Specifications including Safety Standards for Natural Gas Pipelines) Regulations, 2009, for the sentence “Cathodic protection system parameter like pipe to soil potential and TR unit data shall be recorded at least once per month at all CP test stations”, the following shall be substituted :

“Cathodic protection system parameter like pipe to soil potential and TR unit data shall be recorded at least once per month at all CP feed points and once every quarter at all test stations for monitoring of ON potential”

RATAN P. WATAL, Secy.

[ADVT-III/4/188/12/Exty.]

Foot Note: Principal regulations were notified *vide* G.S.R. 808(E), dated 11th November, 2009.